भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1164
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशिंग विलेज

1164. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. –

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में घोषित 100 क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशिंग विलेज के लिए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मत्स्य पालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत हाल ही में ऐसे प्रत्येक गांव के लिए घोषित किए गए 2 करोड़ रुपयों से संबंधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त गांवों की पहचान विकास के लिए की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों को क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेज (सीआरसीएफवी) के रूप में चिन्हित किया है, ताकि उन्हें क्लाइमेट रेसीलिएंट और इकोनोमिकली वाइब्रेंट फिशरमैन विलेज बनाया जा सके। सीआरसीएफवी के लिए दिशा-निर्देश 12 फरवरी, 2024 को जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देशों में उद्देश्य, फंड, फंडिंग पैटर्न, कार्यान्वयन का तरीका, संस्थागत व्यवस्था, गांवों के चयन के मानदंड, प्रत्येक एजेंसी की जिम्मेदारियां, संभावित गतिविधियां, सुविधाओं के निर्माण के बाद प्रबंधन आदि का विवरण दिया गया है।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ सीआरसीएफवी पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक मात्स्यिकी से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए प्रति गांव 2 करोड़ रुपए की इकाई लागत के साथ किया जा रहा है। प्रत्येक पहचाने गए फिशिंग विलेज में आवश्यक सुविधाओं का आकलन गैप एनेलिसिस के आधार पर किया जाएगा और ऐसी आंकी गई सुविधाओं के विकास की लागत स्थानीय साइट की स्थितियों और गांव में मछुआरों की आबादी के आधार पर तय की जाएगी । एक पहचाने गए फिशिंग

विलेज में पहचानी गई सुविधाओं के विकास की लागत को इस तरह से वितरित किया जाएगा कि इकाई/अनुमानित लागत का 70% इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलीटीज के लिए और इकाई/अनुमानित लागत का 30% मात्स्यिकी आर्थिक गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा। योजना घटक जहां भी संभव हो, पहचाने गए फिशिंग विलेज में आवश्यक सामुदायिक भौतिक परिसंपत्तियों/सुविधाओं के निर्माण के लिए अन्य प्रासंगिक स्रोतों से फंड के उपयुक्त अभिसरण और सामंजस्य को भी बढ़ावा देता है।

पहचाने गए तटीय मछुआरा गांवों में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों का मुख्य ध्यान फिशरीज़ पोस्ट-हार्वेस्ट से संबंधित गतिविधियों जैसे फिश ड्राईंग प्लेटफार्म, फिश मार्केट, आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज आदि के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलीटीज के निर्माण, जलवायु के अनुकूल और स्थायी (सस्टेनेबल) आजीविका के अवसरों जैसे सी वीड फ़ार्मिंग, ओर्नामेंटल फिश फ़ार्मिंग और कोस्टल फिशरमैन विलेज में रहने वाले मछुआरों की सहायता के लिए अन्य जलीय कृषि गतिविधियों के निर्माण पर केंद्रित होगा। सुविधाओं या गतिविधियों की पहचान दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण और गैप एनेलिसिस के आधार पर की जाती है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी और एनएफडीबी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचानी गई अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीआरसीएफवी के विकास पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी।

(ग) : जी हां, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों और मत्स्यपालन विभाग द्वारा गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर 100 क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल विलेज की पहचान की गई है, जिसमें सीआरसीएफवी के दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का उचित प्रतिनिधित्व शामिल है। क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेज (सीआरसीएफवी) के रूप में विकास के लिए पहचाने गए गांवों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध-I में सूचीबद्ध है।

******

अनुबंध-I

क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशिंग विलेज के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए श्री रॉबर्ट ब्रूस सी, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1164 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: - विकास के लिए पहचाने गए क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेज (सीआरसीएफवी) का राज्यवार विवरण

क्र.सं	कोस्टल विलेज का नाम	क्र.सं	कोस्टल विलेज का नाम	क्र.सं	कोस्टल विलेज का नाम
गुजरात		**महाराष्ट्र**		**तमिल तमिलनाडु**	
1	सचाना	1	केलवा	1	पसियावरम
2	नवी बंदर	2	अर्नाला	2	सेन्जियाम्मन नगर
3	माधवद	3	रणगांव	3	तिरुवनमियुरकुप्पम
4	मुलद्वारका	4	गोराई ताल	4	परमानकेनी
5	भट्ट	5	नांदगांव	5	मांडवई पुधुकुप्पम
6	जोडिया	6	कोरलाई	6	सी. पुथुपेट्टई
7	जूना बंदर	7	भारदखोल	7	पुथुपेट्टई
8	चोरवाड	8	श्रीवर्धन	8	अर्कोत्तुदुरै
गोवा		9	वरवडे	9	पुथुपट्टियम
1	बेतुल	10	कालबादेवी	10	कुमारपनवयाल
2	अरम्बोल	11	जयगढ़	11	सोलियाकुडी
पुदुच्चेरी		12	निवती	12	कालीमनकुंडु
1	नारमबाई	13	रेडी	13	वीरपांडियन पट्टिनम
2	पट्टिनाचेरी	14	टोंडावल्ली	14	इदिन्थाकारै
दमन और दीव		15	सरजेकोट	15	एरोकियापुरम
1	वनकबारा			16	एरायुमन्थुराई
ओडिशा		**कर्नाटक**		**आंध्र प्रदेश**	
1	पाखराबाद	1	उप्पुंडा मदीकल	1	पेदागंगल्लवनिपेटा
2	सनाढनादि	2	कोटेश्वर	2	देवुनालताडा
3	माझीसाही	3	कडेकर	3	इड्डीवानीपालेम
4	कीर्तनी	4	बैलुरु	4	पथिवाड़ा बार्रिपेटा
5	जम्भीराय	5	मत्तदाहिल्लु	5	पेद्दा उप्पाडा
6	अमरनगर	**केरल**		6	पेंटाकोटा
7	चूड़ामणि	1	एरावीपुरम	7	कोनापापापेटा
8	जम्बू	2	थोट्टापल्ली	8	सोर्लागोंधी
9	खरनासी	3	अज़ीकल	9	गुल्लालामोडा
10	तलचुआ	4	पुथुवाइप	10	अदावी पंचायत
11	नोलियासाही	5	नजरक्कल	11	गोंडीसमुद्रम
		6	चिलकूर	12	पालीपालेम
12	साना नालियानुगांव	**लक्षद्वीप**		13	तडीचेतलापलेम
13	नया बोक्सिपल्ली	1	चेतलाथ द्वीप	14	एडुरूपालेम
14	पाटिसोनापुर	2	अगाती द्वीप	15	थुपिलिपलेम
15	सहन	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**		**पश्चिम बंगाल**	
16	नोलियासाही	1	दुर्गापुर	1	अक्षयनगर
17	पेन्थाकाटा	2	चिड़िया टापू	2	मदनगंज
18	अरखाकुडा	3	जंगलिघाट	3	डेरा
		4	होपटाउन	4	दक्षिण कडुआ
		5	शोल बे	5	बगुरान जलपाई

******